**Engineering Courses Counselling Authority**
(Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya)
Airport Bypass Road, Gandhi Nagar, Bhopal – 462 036
Phone: 0755 – 2678 833, Fax: 0755 – 2678 834 Website: www.mpecca.org

# 26.11.2009 से 27.11.2009 तक 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा के आधार पर आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग की समय–सारिणी

| दिनांक | दिन | समय | 10+2 परीक्षा में प्राप्तांक (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % of marks from | % of marks to |
| 26/11/2009 | गुरूवार | प्रातः 10:00 बजे | 99.99 | 60.00 |
| | | अपरान्ह 2:00 बजे | 59.99 | 51.00 |
| 27/11/2009 | शुक्रवार | प्रातः 10:00 बजे | 50.99 | अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक |
| | | अपरान्ह 3:30 बजे | रू. 1500.00 की पंजीयन शुल्क के साथ स्पाट रजिस्ट्रेशन कराने वाले समस्त अभ्यार्थियों के लिए | |

नोट : दिनांक 26.11.2009 को आयोजित दोनों सत्रों एवं दिनांक 27.11.2009 को आयोजित प्रथम सत्र (प्रातः 10 बजे से) की काउंसलिंग में मात्र वे अभ्यार्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 2009 में जारी किए गए विज्ञापन के अनुरूप दिनांक 24.11.2009 तक पंजीयन करवाया है।

दिनांक 27.11.2009 को अपरान्ह 3.30 बजे से आयोजित काउंसलिंग में ऐसे समस्त अभ्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 24.11.2009 से 27.11.2009 की समयावधि में रू. 1500.00 की शुल्क के साथ स्पाट रजिस्ट्रेशन करवाया हो ।

## काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

01. (अ) रू. 9,500/– (रूपये नौ हजार पांच सौ केवल) का ड्राफ्ट, शिक्षण शुल्क अग्रिम के रूप में ।
(ब) रू. 500/– (रूपये पांच सौ केवल) का ड्राफ्ट, काउंसलिंग शुल्क के रूप में ।

उपरोक्त दोनों बैंक ड्राफ्ट सचिव, ई.सी.सी.ए., भोपाल के पक्ष में भोपाल में देय होगे ।

इन बैंक ड्राफ्ट्स के पीछे अभ्यार्थी अपना नाम, पता, टेलीफोन/मोबाईल नंबर अवश्य लिखें ।

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी, मध्यपदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को फीस की अग्रिम एवं काउंसलिंग शुल्क की राशि देय नहीं है, अतः उन्हें उपरोक्त दोनों ड्राफ्ट नहीं लाना है ।

02. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची (10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ पृथक–पृथक पास होना / इंजीनियरिंग अथवा आर्किटेक्चर में डिप्लोमा)
03. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ ।
04. पी0ई0पी0टी0 – 2009 नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 2.4.2 में दिए गए प्रपत्र 7/8/9/10/11 अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र* (यदि लागू हो)
05. पी.ई.पी.टी.–2009 नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 2.3.1 एवं 2.3.2 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यार्थियों हेतु निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र* (यदि लागू हो)
06. उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ।

*क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित दस्तावेज, केवल मध्यप्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु लागू रहेंगे ।

नोट –
1. 10+2 परीक्षा में समान प्रतिशत वाले अभ्यार्थियों की प्रावीण्यता उनके द्वारा क्रमशः गणित, भौतिक एवं रसायन विषयों में प्राप्तांको के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।
2. प्रत्येक सत्र के उपरांत रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी ।
3. अभ्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए काउंसलिंग केन्द्र पर आने के पूर्व उपरोक्त वेबसाइट से उपलब्ध रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर लें।

सचिव